न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 04/2021 तारीख रजू 12.01.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।

.....आवेदक

बनाम

1. श्री गोविन्द प्रसाद जैन पुत्र श्री घनश्याम जैन प्रोपराईटर–श्री गणेश मावा भण्डार, सवाई माधोपुर (राज.)–322001 (खाद्य कारोबारकर्ता/प्रोपराईटर) घर का पता–मंडी मोहल्ला, चौथ का बरवाडा, भगवतगढ, सवाई माधोपुर (राज.)–322701।

.....अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 17/7/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पश्चिम मध्य रेलवे कोटा द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओमप्रकाश राठौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे कोटा (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 11.11.2020 को समय 23.15 बजे पार्सल ऑफिस सवाई माधोपुर जंक्शन पर जप्तशुदा मावा (08 टोकरी) कुल वजन 330.04 किग्रा. बिल्टी नं. 946754 जो कि तहकीकात करने पर फर्म मैसर्स श्री गणेश मावा भण्डार, बजरिया, सवाईमाधोपुर (राज.)–322001 का होना पाया गया। फर्म के प्रो0 श्री गोविन्द प्रसाद जैन पुत्र श्री घनश्याम जैन घटना स्थल पर उपस्थित थे। उनको अपना परिचय दिया। घटना स्थल पर उपस्थित गवाहों क्रमशः (1) श्री पी.सी.जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी स.माधोपुर (2) श्री मीठालाल पुत्र श्री मोतीलाल कॉनस्टेबल जीआरपी थाना सवाई माधोपुर एवं (3) श्री रामप्रसाद पद कॉनस्टेबल जीआरपी थाना सवाई माधोपुर के समक्ष निरीक्षण किया गया।

यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए खाद्य पदार्थ "Maava" में मिलावट का शक होने पर विक्रेता श्री गोविन्द प्रसाद जैन 02 टोकरी मावा को उपस्थित गवाहों के समक्ष खोलकर, देखकर, सूंघकर एवं टेस्ट कर आवेदक एवं अन्य गवाहों ने भी देखा जोकि उपर्युक्त सुटेबल टेस्ट पाया गया। मावा में किसी भी प्रकार की बदबू इत्यादि नहीं पायी गयी परन्तु मावा में किसी अन्य पदार्थ की मिलावट तो नहीं है? अतः शंका के निवारण हेतु उक्त मावे काएक नमूना जांच हेतु एकत्र करने के लिए मावा प्रोपराईटर श्री गोविन्द

न्याय निर्णयन अधिकारी
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रसाद जैन को बताया उन्होंने बताया कि हमने मावे की बिल्टी पार्सल ऑफिस से ली है एवं मावे का नमूना एकत्र कर सकते है। अतः आवेदक ने मावे का नमूना एकत्र करने के लिए सबसे पहले फार्म सं. 5–ए नोटिस मावा प्रो0 श्री गोविन्द प्रसाद जैन को दिया एवं उनके हस्ताक्षर करवाये एवं गवाह श्री मीठालाल एवं श्री रामप्रसाद के हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात् आवेदक ने लगभग एक किग्रा. मावा वास्ते नमूना जांच हेतु 240/–रू. प्रति किग्रा. के भाव से प्रो0 श्री गोविन्द प्रसाद जैन को देकर खरीदा। इसके पश्चात् मावे को 250–250 ग्राम प्लास्टिक जार में भरा गया। प्रत्येक पार्ट में प्रिजरवेटिव फोरमेलिन की 20–20 बूंद प्रत्येक पार्ट में डाला गया। इसके पश्चात प्रत्येक पार्ट को ढक्कन लगाकर पैक किया गया। इसके बाद मावे को अच्छी तरह मिलाया गया एवं प्रत्येक पार्ट पर लेबल चिपकाए गए लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री गोविन्द प्रसाद जैन एवं आवेदक तथा उपस्थित गवाहों ने हस्ताक्षर किये। एवं लेबल पर डी.ओ. कोड स्लिप नम्बर **पमरे/डब्ल्यू.सी.आर./915–691** लिखा गया। इसके प्रत्येक नमूना भाग को खाखी पेपर में लपेट कर किनारे गोंद से चिपकाए इसके पश्चात अभिहित अधिकारी पमरे जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जिसका कोड एवं स्लिप नम्बर **पमरे/डब्ल्यू.सी.आर./915–691** नीचे से ऊपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील चपडी की, प्रत्येक पार्ट के ऊपर–नीचे, दॉये–बॉए लगायी गयी। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनो पर आए तथा आवेदक ने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। इसके बाद मावे की 08 टोकरियों को मावा व्यापारी द्वारा यह इच्छा जाहिर की कि मैं उक्त मावे को दुकान पर ले जा सकता हूं, सेम्पल कार्यवाही के पश्चात मावा व्यापारी द्वारा मावे की टोकरियों को गवाहों की उपस्थिति में ले जाने हेतु बताया गया एवं दुकान पर मावा व्यापारी द्वारा मावे की 08 टोकरियां दुकान पर ले जायी गयी। उपरोक्त नमूना फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जॉच हेतु एकत्रित किया गया है। एवं जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। मावा प्रो0 श्री गोविन्द प्रसाद जैन को गवाहों के समक्ष बताया।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5–ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5–ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की।

यह कि कारोबारकर्ता श्री गोविन्द प्रसाद जैन को एक सूचना पत्र उसी समय कार्यवाही के दौरान दिया गया कि उक्त संग्रह किये गये नमूने का चौथे भाग की जांच प्रत्यायित प्रयोगशाला में करवाना चाहते है लेकिन कारोबारकर्ता श्री गोविन्द प्रसाद जैन ने इस बाबत कोई अनुरोध नहीं किया।

यह कि कारोबारकर्ता श्री गोविन्द प्रसाद जैन को उसी समय एक सूचना पत्र दिया गया कि उक्त खाद्य सामग्री कहां से खरीदी है। इस खरीद का कोई बिल, बीजक, कैश मीमो, इनवॉइस यदि हो तो प्रस्तुत करे लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता श्री गोविन्द प्रसाद जैन द्वारा इस संबंध में "Maava" की खरीद का कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है।

यह कि सम्पूर्ण कार्यवाही का मौका फर्द रिपोर्ट तैयार किया गया जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री गोविन्द प्रसाद जैन गवाह एवं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

निर्णायन अधिकारी
मजिस्ट्रेट
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:18 IST
Reason: SelfAttested

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगायी जिससे नमूना सील किया हे। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खद्य विश्लेषक जयपुर को जमाकर फार्म नम्बर 6 की रसीद प्राप्त की। शेष 3 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की 3 प्रतियॉ के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभीहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के पत्र क्रमांक पमरे/एचक्यू/एच/ 0602/एफएसएसए/दिनांक 09.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2078/एक्ट/2020/1985 दिनांक 2511. 2020 के अनुसार "Maava" खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टेण्डर्ड फूड होना पाया गया।

यह कि उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ " Maava" सबस्टेण्डर्ड फूड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है तथा खाद्य कारोबारकर्ता के पास खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी नहीं होना पाया गया जो कि धारा 58 में जुर्माने योग्य दण्डनीय अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ " Maava" सबस्टेण्डर्ड फूड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है तथा खाद्य कारोबारकर्ता के पास खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी नहीं होना पाया गया जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की क्रमशः धारा 51 एवं धारा 58 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत ज़वाब को ही लिखित बहस मानते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया। अभियुक्त द्वारा जवाब/लिखित बहस में कथन किया कि यह कि यह परिवाद पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध बिलकुल मिथ्या एवं निराधार बनाया है, जिसकी कोई सत्यता नहीं है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस मावा खाद्य वस्तु का नमूना लेना बताया गया है, उसकी कार्यवाही उन्होंने विधि अनुसार नहीं की, ना तो मावे का नमूना नियमानुसार लिया और ना ही जब्ती की कार्यवाही नियमानुसार की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि इस मावे का वह नमूना ले रहे हैं, वह वास्तव में अभियुक्त गोविन्द प्रसाद की थी तथा उसके द्वारा ही मंगवायी गयी थी ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं था कि जिससे वह मावे की टोकरियां अभियुक्त गोविन्द प्रसाद जैन की होना बखूबी साबित होता हो। यह कि केन्द्रीय विधि प्रयोगशाला से जांच करवाने का अवसर भी अभियुक्त को नहीं दिया गया, कानूनन इसके लिए

न्याय ... अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:18 IST
Reason: SelfAttested

अभियुक्त/प्रार्थी को नियमानुसार नोटिस दिया जाना चाहिए था। यह कि नमूना लेने सम्बन्धि कार्यवाहियों व फर्दों पर प्रार्थी गोविन्द प्रसाद जैन के हस्ताक्षर बिना भरे हुए खाली एवं प्रिन्टेड पेपरों पर बनाये थे, जिस पर पेन से कुछ लिखा हुआ नहीं था, यह समस्त फर्द खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मात्र अपने आफिस में बैठकर मिथ्या एवं फर्जी तैयार की थी। यह कि उक्त मावे की टोकरियां यदि प्रार्थी अभियुक्त की मानी जावे, तो भी यह साबित नहीं है कि वह मावा बिक्री के लिए लाया गया था। यह कि चूंकि केन्द्रीय विधि प्रयोगशाला से जांच करवाये जाने पर नियमानुसार अधिकार नहीं दिये जाने के कारण केन्द्रीय विधि प्रयोगशाला से प्रार्थी/अभियुक्त नमूने की जांच नहीं करवा सका तथा इससे प्रार्थी/अभियुक्त के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार का हनन हुआ है, नमूने को प्रयोगशाला द्वारा सब स्टेण्डर्ड का बताया जाना कतई गलत है, ना तो नमूना नियमानुसार लिया गया और ना ही जांच रिपोर्ट उचित एवं सत्य है। अन्त मे जवाब/लिखित बहस में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त को निर्दोष मानते हुए उसे खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2078/एक्ट/2020/1985 दिनांक 25.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच खाद्य पदार्थ "Maava" खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है तथा खाद्य कारोबारकर्ता के पास खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी नहीं होना पाया गया जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की क्रमशः धारा 51 एवं धारा 58 में जुर्माने योग्य अपराध है। अभियुक्त का यह तर्क कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने की कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की है तो उक्त संबंध में पत्रावली के अवलोकन करने पर नमूने की कार्यवाही विधि अनुसार किये जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि नमूने की कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की गई हो। अभियुक्त का यह तर्क कि ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं था कि जिससे वह मावे की टोकरियां अभियुक्त की होना बखूबी साबित होता हो, के संबंध में अभियुक्त को नमूना लेने की सूचना संबंधी फार्म 5ए, फर्द मौका रिपोर्ट, बिल्टी आदि पर हस्ताक्षर से मावे की टोकरियां अभियुक्त की होना प्रतीत होती है। अभियुक्त का यह तर्क कि केन्द्रीय विधि प्रयोगशाला से जांच करवाने का अवसर नहीं दिया गया के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर के द्वारा दिनांक 27.01.2021 को दो अलग–अलग पत्र स्पीड पोस्ट से अभियुक्त के फर्म तथा घर के पते पर भिजवाया जाना साबित होता है। अभियुक्त का यह तर्क कि नमूना लेने सम्बन्धि कार्यवाहियों व फर्दो पर प्रार्थी गोविन्द प्रसाद जैन के हस्ताक्षर बिना भरे हुए खाली एवं प्रिन्टेड पेपरों पर बनाये थे जिस पर पेन से कुछ लिखा हुआ नहीं था, यह समस्त फर्द खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मात्र अपने आफिस में बैठकर बिलकुल मिथ्या एवं फर्जी तैयार की थी के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह कहीं भी साबित नहीं होता है कि नमूना लेने सम्बन्धि कार्यवाहियों व फर्दों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर बिना भरे हुए खाली एवं प्रिन्टेड पेपरों पर बनाये गये हो और ना ही अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य–सबूत पेश किये हैं।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:18 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के धारा 51 एवं धारा 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्त को सब स्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ "Maava" का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर **25000/– रूपये (अक्षरेः पच्चीस हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा एफएसएस एक्ट 2006 के धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर **25000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:18 IST
Reason: SelfAttested